

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

अनवान बनाम.....
 अन्तर्गत धारा.....

प्रकरण संख्या...../ आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

दिनांक नम्बर एवं जो इस आ पालना में:

5/5/22 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समग्र भाह। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09/5/22 को पेश हो।

22/4/22 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत 9FF..... में पेश हुई। पत्रावली श्रुति निधारित दिनांक 9/5/22 को पेश हो।

9/5/22 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समग्र भाह। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/06/22 को पेश हो।

15/6/22 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04/11/2020 को मूलवाद के निमित्त तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निमित्त होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर